

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone : 25487245
ई-मेल e-mail: enforce@dcsem.gov.in

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-8430/2026 / 2661
No.DCSEM/Enft/e-8430/2026 / 2661

अप्रैल April 13th, 2026

परिपत्र CIRCULAR


विषय: अणुशक्तिनगर में शराब सेवन और नशीली दवाएँ रखे जाने के संबंध में।
Sub: Alcohol consumption and drug possession cases reported in Anushaktinagar- reg.

इस निदेशालय के संज्ञान में कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें अणुशक्तिनगर कॉलोनी में युवाओं, विशेषकर किशोरों के पास से मादक पदार्थ और शराब बरामद हुई है। मादक पदार्थों और शराब का दुरुपयोग वास्तव में एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसके व्यापक हानिकारक प्रभाव हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ युवा, समूह में मादक पदार्थों और शराब का सेवन कर रहे हैं और विशेष रूप से देर रात के समय नशे में गाड़ी चलाने जैसे जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त हैं।

A few incidents have been brought to the notice of this Directorate wherein young children, particularly teenagers, have been found in possession of drugs and alcohol within the Anushaktinagar colony. Drug and alcohol abuse is indeed a growing societal concern and have widespread harmful effects that impact physical health, mental stability, and social well-being. Reports indicate that some youth are involved in drug and alcohol consumption in groups and indulging in risky behaviours such as drunk driving, especially during late night hours.

2. आवासीय परिसर के भीतर अवैध गतिविधियों के कारण सरकारी आवास का आबंटन रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही के अलावा सरकारी आवास से बेदखली भी हो सकती है। सरकारी आवास आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) नियम 1982 के नियम VII(d) के अनुसार, यदि कोई आबंटिती, उनके परिवार के सदस्य या आबंटिती के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति टाउनशिप में शांति और जीवन की स्थिरता को प्रभावित करने वाली असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो आबंटन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Illegal activities within the residential premises may lead to the cancellation of allotment and eviction from the government accommodation, besides legal prosecution. As per Rule VII(d) of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Rules 1982, the allotment shall be liable to be cancelled if any allottee, their




family members or any person residing with the allottee is found indulging in antisocial activities affecting the peace and even tenor of life in the township. Furthermore, if an employee is found involved in such activities, they shall be liable for disciplinary action under the CCS (Conduct) Rules, 1964.

3. बच्चों और युवाओं को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए, अणुशक्तिनगर के निवासियों को उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी जाती है। माता-पिता और अभिभावकों को उन्हें मादक पदार्थों और शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों के साथ-साथ कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्तियों, विशेष रूप से बाहरी लोगों की असामान्य उपस्थिति, विशेषकर रात के समय, अणुशक्तिनगर सुरक्षा को सूचित करें।

In order to prevent the involvement of children and youth in such activities, residents of Anushaktinagar are advised to closely monitor their activities. Parents and guardians should educate them about the harmful effects of drug and alcohol abuse, as well as the legal consequences. All residents are requested to remain vigilant and report any suspicious activities or unusual presence of individuals, including outsiders, particularly during odd hours, to Anushaktinagar Security.

4. इसे इस निदेशालय के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in DCSEM.


10.4.2026

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
Director (Personnel & Administration)

अणुशक्तिनगर के आबंटिती – सभी संबंधित अनुरक्षण यूनिटों द्वारा प्रदर्शन/व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
Allottees of Anushaktinagar – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर।
CSO, Anushaktinagar.
2. सभी रहिवासी कल्याण संघ (आरवा, मारवा, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए)।
All Resident Welfare Associations (ARWA, MRWA, WSRWA).
3. निसेसंप्रनि वेबसाईट।
DCSEM website.